न्यायालय जिला कलेक्टर सवाईमाधोपुर

अपील(सू.का.अ)संख्या 06/2023 बउनवानी महेन्द्र वर्मा बनाम लो.सू.अधि.एवं तहसीलदार सवाईमाधोपुर
निवासी– उपजिला कलेक्टर कार्यालय के सामने कलेक्ट्रेट कैम्पस सवाईमाधोपुर
GCMS No-2023/4

तारीख हुकम	हुकम या कार्यवाही मय इनिशियल जज
22.2.2023	

पत्रावली पेश हुयी। अपीलान्ट नियत दिनांक को उपस्थित नही। लोक सूचना अधिकारी एवं तहसीलदार सवाईमाधोपुर की ओर से पैरोकार राजस्व उपस्थित। अपीलान्ट द्वारा सूचना चाहने हेतु दिनांक 8.12.2022 को लोक सूचना अधिकारी एवं अति0 जिला कलेक्टर सवाईमाधोपुर के कार्यालय में अधिनियम की धारा 6(1) के तहत प्रार्थना पत्र प्रेषित किया गया जो अधिनियम की धारा 6(3) के तहत तहसीलदार सवाईमाधोपुर अन्तरित कर प्रार्थना पत्र मे उल्लेखित निम्नांकित सूचनाऐं उपलब्ध कराये जाने हेतु निवेदन किया गयाः–

1. यह है कि मो. ईशा द्वारा दिनांक 20.10.2022 को शिकायती पत्र प्रस्तुत कर यह निवेदन किया कि सरकारी भूमि जो ठठेराकुण्ड शहर सवाईमाधोपुर मे स्थित है यह वर्षो से खाली पडी थी जिसपर मानसिंह मलहोत्रा पुत्र उजागर सिंह द्वारा अवैध निर्माण किया जा रहा है। उक्त प्रार्थना पत्र पर की गयी कार्यवाही की सूचना दी जावे।

प्रस्तुत प्रार्थना पत्र में उल्लेखित सूचना, लोक सूचना अधिकारी एवं तहसीलदार सवाईमाधोपुर द्वारा अपीलान्ट को अन्दर मियाद उपलब्ध नही कराये जाने के कारण उक्त अधिनियम की धारा 19(1) के तहत प्रथम अपील इस न्यायालय मे प्रस्तुत की गयी जो दर्ज रजिस्टर की जाकर सम्बन्धित लोक सूचना अधिकारी एवं तहसीलदार सवाईमाधोपुर को तत्काल सूचना उपलब्ध कराने हेतु आदेशित किया गया साथ ही सम्बन्धित उभयपक्षों की सुनवायी तलबी जरिये नोटिस की गयी।

नियत पेशी पर अपीलान्ट उपस्थित नही, दौराने सुनवायी पैरोकार राजस्व ने कथन किया कि लोक सूचना अधिकारी एवं तहसीलदार सवाईमाधोपुर के जवाब नोटिस क्रमांक/आरटीआई/2022/2215 दिनांक 21.2.2023 से अवगत कराया कि अपीलान्ट द्वारा प्रार्थना पत्र दिनांक 8.12.2022 मे चाही गयी सूचना के संबंध मे तहसीलदार सवाईमाधोपुर के पत्रांक 2058 दिनांक 9.1.2023 एवं 214 दिनांक 21.2.2023 से अपीलान्ट को प्रार्थना पत्र में अंकित भूमि के संबंध में पटवारी हल्का आलनपुर की रिपोर्ट भिजवायी जा चुकी है। अतः अपील खारिज किये जाने बाबत पैरोकार राजस्व द्वारा निवेदन किया गया।

पैरोकार द्वारा किये गये कथन एवं पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजात का गहनता से अवलोकन व मनन करने के उपरान्त मैं इस निष्कर्ष पर पहुॅचता हूॅ, कि अपीलान्ट द्वारा सूचना का अधिकार अधिनियम,2005 के तहत दिनांक 8.12.2022 मे चाही गयी सूचना तहसीलदार सवाईमाधोपुर द्वारा अपीलान्ट को उपलब्ध करवायी जा चुकी है। इसलिए अपील अपीलान्ट खारिज की जाकर पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो एवं बाद तकमील वास्ते दाखिल अभिलेख किया जावे। आदेश खुले न्यायालय मे सुनवाया गया।

Signature Not Verified
Digitally signed by Suresh Kumar Ola
Date: 2023.12.19 11:33:06 IST
Reason: SelfAttested

(सुरेश कुमार ओला)
जिला कलेक्टर
सवाई माधोपुर